



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 29 अक्टूबर, 2024 / 07 कार्तिक, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अक्टूबर, 2024

संख्या:गृह(क)ए(1)-6/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा

161—राजपत्र / 2024-29-10-2024

(7383)

संहिता अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 46) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पुलिस चौकी संसारपुर टैरस को स्तरोन्नत करके पुलिस थाना संसारपुर टैरस का सृजन करते हैं, और नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ संख्या: (3) में यथा-वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या: (4) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों से स्तम्भ संख्या: (5) में वर्णित नवसृजित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों में अन्तरित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	ग्राम पंचायतों का नाम	स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायतों में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम	पुलिस थाना, जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए जाने हैं	पुलिस थाना, जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित होंगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रिडी कुठेहड़ा	1.कुठेहड़ा 2.रिडी	पुलिस थाना देहरा	पुलिस थाना संसारपुर टैरस
2.	नारी	1.नारी	—यथोपरि—	—यथोपरि—
3.	घाटी	1. घाटी विल्वां 2. संसारपुर	—यथोपरि—	—यथोपरि—
4.	घमरूर	1. घमरूर 2. वरनाली 3. बुहाला	—यथोपरि—	—यथोपरि—
5.	बाडी	1. बाडी 2. दडब 3. बढाल 4. बन्धोल 5. बन रजोली	—यथोपरि—	—यथोपरि—
6.	रैल	1. रैल 2. सान्डा 3. डडोआ 4. जटैहड	—यथोपरि—	—यथोपरि—
7.	जण्डौर	1. जण्डौर 2. गोमी 3. महाला 4. अमलैहड 5. बढाल मैरा	—यथोपरि—	—यथोपरि—
8.	अमरोह	1. प्रागपुर 2. कोई 3. अमरोह	—यथोपरि—	—यथोपरि—
9.	हलेड	1. रनोह 2. कानपुर 3. हलेड 4. लखारडा 5. बैरी 6. नगोह करैट	—यथोपरि—	—यथोपरि—
10.	गुरालधार	1. गुरालधार 2. पट्टी 3. सुनेहत 4. नंगल	—यथोपरि—	—यथोपरि—

11.	कस्बा कोटला	1. कस्बा 2. भोली 3. भटेड़	—यथोपरि—	—यथोपरि—
12.	कोटला बैहड़	1. कोटला खास 2. जखूणी 3. बेहड़ 4. जोल	—यथोपरि—	—यथोपरि—

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)A(1)-6/2024 dated 26-10-2024 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th October, 2024

No. Home(A)A(1)-6/2024.—In exercise of the powers conferred by clause (u) of sub-section(1) of Section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Act, 2023 (Act No. 46 of 2023) read with sub-section (1) of Section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No.17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Director General of Police, Himachal Pradesh, is pleased to create Police Station Sansarpur Terrace by upgrading the Police Post Sansarpur Terrace, District Kangra and to transfer the Villages as enumerated in column No.(3) from the local area of the Police Station as mentioned in column No.(4) to the local area of the newly created Police Station mentioned in column No.(5) of the schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—

SCHEDULE

Sl. No.	Name of Gram Panchayats	Name of Villages contained in Gram Panchayats specified in Column No.2	Police Station from which transferred by this notification	Police Station in which hereinafter included
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Riri Kuthera	1. Kuthera 2. Riri	Police Station Dehra	Police Station Sansarpur Terrace
2.	Nari	1. Nari	-do-	-do-
3.	Ghati	1. Ghati Bilwan 2. Sansarpur	-do-	-do-
4.	Ghamroor	1. Ghamroor 2. Barnali 3. Buhala	-do-	-do-

5.	Bari	1. Bari 2. Darab 3. Badhal 4. Bandhol 5. Ban Rajoli	-do-	-do-
6.	Rail	1. Rail 2. Sanda 3. Dadoa 4. Jatehar	-do-	-do-
7.	Jandour	1. Jandour 2. Gommi 3. Mahala 4. Amlehar 5. Badhal Maira	-do-	-do-
8.	Amroh	1. Pragpur 2. Koi 3. Amroh	-do-	-do-
9.	Haler	1. Ranoh 2. Kahanpur 3. Haler 4. Lakharda 5. Beri 6. Nagoh Karent	-do-	-do-
10.	Guraldhar	1. Guraldhar 2. Patti 3. Sunhet 4. Nangal	-do-	-do-
11.	Kasba Kotla	1. Kasba 2. Bholi 3. Bhater	-do-	-do-
12.	Kotla Behar	1. Kotla Khas 2. Jakhuni 3. Behar 4. Jol	-do-	-do-

By order,

Addl. Chief Secretary (Home).

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 अक्टूबर, 2024

संख्या:गृह(क)ए(1)-6/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 10 की उप-धारा (2) व धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाडासिबा को अवस्थित पुलिस उप-मण्डल कार्यालय, जिसका मुख्यालय जिला कांगड़ा के डाडासिबा में होगा, जनहित में तुरन्त प्रभाव से सृजन करते हैं।

डाडासिबा, जिला कांगड़ा में अवस्थित पुलिस उप-मण्डल कार्यालय पुलिस थाना, डाडासिबा तथा पुलिस थाना, संसारपुर टैरस के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)A(1)-6/2024, dated 26-10-2024 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th October, 2024

No. Home(A)A(1)-6/2024.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 10 and sub-section (2) of Section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to create a Sub-Divisional Police Office at Dadasiba with its headquarter at Dadasiba in District Kangra in public interest, with immediate effect.

The Sub-Divisional Police Office at Dadasiba, District Kangra will supervise the work of Police Station, Dadasiba and Police Station, Sansarpur Terrace.

By order,

Addl. Chief Secretary (Home).

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-09, 23 अक्टूबर, 2024

संख्या: पीसी0एच0-एचए (1)3/2013-I/504332/2024.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना जिसे दिनांक 20 फरवरी, 2024 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, के अन्तर्गत जिला शिमला के विकास खण्ड टियोग की ग्राम सभा चरैन टिक्कर के मुख्यालय खगना से बदलकर "झमाड़" करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला शिमला को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझावों पर उपायुक्त शिमला द्वारा विचार तथा विनिश्चय किया गया और ग्राम सभा चरैन टिक्कर के मुख्यावास को "झमाड़" में स्थापित करने की सिफारिश की गई है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 (2) (ग) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन जिला शिमला के विकास खण्ड टियोग की ग्राम सभा चरैन टिक्कर के मुख्यावास को खगना से बदलकर "झमाड़" में स्थापित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
सचिव (पंचायती राज)।

INDUSTRIES DEPARTMENT
Section-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st October, 2024

No. IND-A-E005/2/2021.—On the recommendations of the Committee constituted *vide* letter No. Ind.Dev.F(16)OA No.646/2023/NGT dated 26th September, 2024 by the Director of Industries, Himachal Pradesh, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that no industries classified as RED category units by H.P. State Pollution Control Board discharging liquid effluents shall be allowed to be set up in Industrial Area, Pandoga, District Una.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that only GREEN & ORANGE Category unit will be allowed to be set up in the Industrial Area, Pandoga, District Una.

By order,

Sd/-
Principal Secretary (Inds).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 18th October, 2024

No. TPT-C(9)-4/2017-Loose.— The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration mark **HP54-E alongwith Serial No. 0001 to 9999** to the Registering & Licensing Authority, Jawali,

District Kangra, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.

By order,

Sd/-
(R.D. NAZEEM, I.A.S.),
Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th August, 2024

No. TPT-C(9)-6/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration mark **HP44-C alongwith Serial No. 0001 to 9999** to the Registering & Licensing Authority, Churah, District Chamba, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.

By order,

Sd/-
(R.D. NAZEEM, I.A.S.),
Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd October, 2024

No. TPT-F(4)-3/2024.—Whereas, this department *vide* notification No. TPT-F(4)-5/2017 dated 12th October, 2017 had notified the draft Himachal Pradesh Transport Services of the State Transport Undertaking Scheme, 2017 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh (Extra ordinary) on 12-10-2017, which was finalized/notified on 11.10.2018 and published in the Rajpatra on 12-10-2018.

Now, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to withdraw the above notifications of Himachal Pradesh Transport Services of the State Transport Undertaking Scheme, 2017.

By order,

Sd/-
(R.D. NAZEEM, I.A.S.),
Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 25th October, 2024

No. TPT-C(9)-3/2003.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration mark **HP80-B alongwith Serial No. 0001 to 9999** to the Registering & Licensing Authority, Haroli, District Una, Himachal Pradesh for registration of motor vehicles with effect from the publication of this notification in the H.P. Rajpatra (e-Gazette) in the public interest.

By order,

Sd/-
(R.D. NAZEEM, I.A.S.),
Principal Secretary (Transport).

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla (H. P.)**

Smt. Sunita Devi w/o Sh. Kamla Kishor & d/o Sh. Bija Ram Sharma, r/o Village Bagh, P.O. Pahal, Sub-Tehsil Dhimi, Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . . *Respondent.*

Whereas, Smt. Sunita Devi w/o Sh. Kamla Kishor & d/o Sh. Bija Ram Sharma, r/o Village Bagh, P.O. Pahal, Sub-Tehsil Dhimi, Distt. Shimla (H.P.) filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of herself namely Sunita Devi in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Dummi, Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Sunita Devi	Self	25-05-1977

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Dummi, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 23-10-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla(R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla (H. P.)**

Smt. Kala Vati w/o Sh. Prem Dutt Sharma & d/o Lt. Sh. Besar Dutt Sharma, r/o Village Neri, P.O. Chailli, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Smt. Kala Vati w/o Sh. Prem Dutt Sharma & d/o Lt. Sh. Besar Dutt Sharma, r/o Village Neri, P.O. Chailli, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of herself namely Kala Vati in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Pahal, Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Kala Vati	Self	23-02-1973

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Pahal, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 23-10-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla(R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Ms. Kavita Thakur, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla (H. P.)**

Sh. Pushpender Kumar s/o Sh. Kundan Lal, r/o V.P.O. Dharogra, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.).

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, Sh. Pushpender Kumar s/o Sh. Kundan Lal, r/o V.P.O. Dharogra, Tehsil Sunni, Distt. Shimla (H.P.) filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of himself namely Pushpender Kumar s/o Sh. Kundan Lal in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Dharogra, Shimla (H.P.):—

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Pushpender Kumar	Self	02-04-1984

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the records of Registrar, Birth and Death in Gram Panchayat Dharogra, Shimla (H.P.) may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 23-10-2024 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla(R), District Shimla (H.P.).*

—————

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Gian Chand, r/o VPO Jathia Devi, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).

2. Ms. Shanti d/o Sh. Devi Ram, r/o 2708, Panchkula, Sector-15, Haryana.

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage u/s 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Sunil Kumar s/o Sh. Gian Chand, r/o VPO Jathia Devi, Tehsil Shimla (Rural), District Shimla (H.P.) & Ms. Shanti d/o Sh. Devi Ram, r/o 2708, Panchkula, Sector-15, Haryana have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 08-05-2021 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of Gram Panchayat concerned/ Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 15th October, 2024.

Seal.

Sd/-
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural),
District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Ishan Bhardwaj s/o Sh. Bal Krishan Bhardwaj, r/o V.P.O. Jadhana, P.O. Dhari, Tehsil & District Shimla (H.P.), age 36 years.

2. Ms. Bhoomika d/o Sh. Raj Knojia, r/o F-4/833, Vascoda Apartments, Shalimar Garden, Extn-1, Sahibabad, Ghaziaba -age 35 years.

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage u/s 8(4) of H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Ishan Bhardwaj s/o Sh. Bal Krishan Bhardwaj, r/o V.P.O. Jadhana, P.O. Dhari, Tehsil & District Shimla (H.P.) & Ms. Bhoomika d/o Sh. Raj Knojia, r/o F-4/833, Vascoda Apartments, Shalimar Garden, Extn-1, Sahibabad, Ghaziaba have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 07-06-2017, and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages of Gram Panchayat concerned/ Municipal Corporation Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 23rd October, 2024.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Rural), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan (IAS), Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of:

Smt. Urmila Devi w/o Sh. Leela Singh, r/o Village Jabralu, P.O. Kansakoti, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Urmila Devi w/o Sh. Leela Singh, r/o Village Jabralu, P.O. Kansakoti, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself (Urmila Devi) 11-12-1964 in the records of birth register of Gram Panchayat Kaloti, Development Block Chhohara.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Urmila Devi (11-12-1964) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 18th October, 2024.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, IAS),
SDM Rohru,
District Shimla (H.P.).

—————
**In the Court of Sh. Vijay Wardhan (IAS), Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of:

Sh. Balwant Singh Nagta s/o Late Sh. Padam Chand, r/o Village Shekhal, P.O. Dhadi Ghunsa, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Balwant Singh Nagta s/o Late Sh. Padam Chand , r/o Village Shekhal, P.O. Dhadi Ghunsa, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of his mother Late Smt. Gopali Devi (28-08-1989) in the records of death register of Gram Panchayat Shekhal, Development Block Rohru.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of death of Smt. Gopali Devi (28-08-1989) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 18th October, 2024.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, IAS),
SDM Rohru,
District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan (IAS), Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of:

Sh. Subhash Chand s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Kyarku, P.O. Dhadi Ghunsa, Tehsil
Rohru, Distt. Shimla (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Subject.—Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Subhash Chand s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Kyarku, P.O. Dhadi Ghunsa, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son Amit 18-09-2009 in the records of birth register of Gram Panchayat Shekhal, Development Block Rohru.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Amit (18-09-2009) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 18th October, 2024.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, IAS),
SDM Rohru,
District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan (IAS), Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of:

Sh. Sanjeev Kaith s/o Late Sh. Fina Dass, r/o Village Shakti Nagar, P.O. Samoli, Tehsil
Rohru, Distt. Shimla (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Sanjeev Kaith s/o Late Sh. Fina Dass, r/o Village Shakti Nagar, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son Arshit Kaith 23-02-2008 in the records of birth register of Gram Panchayat Samoli, Development Block Rohru.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of Arshit Kaith (23-02-2008) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 18th October, 2024.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, IAS),
SDM Rohru,
District Shimla (H.P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan (IAS), Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of:

Sh. Balwant Singh Nagta s/o Late Sh. Padam Chand, r/o Village Shekhal, P.O. Dhadi Ghunsa, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) ..Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.—Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Balwant Singh Nagta s/o Late Sh. Padam Chand, r/o Village Shekhal, P.O. Dhadi Ghunsa, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of death of his uncle Late Sh. Amar Singh (30-05-2001) in the records of death register of Gram Panchayat Shekhal, Development Block Rohru.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of death of Amar Singh (30-05-2001) they should appear

before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 18th October, 2024.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, IAS),
SDM Rohru,
District Shimla (H.P.).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

रक्षा देवी पुत्री श्री नन्दू राम, निवासी गांव झिकली नौरी, डा0 जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

रक्षा देवी पुत्री श्री नन्दू राम, निवासी गांव झिकली नौरी, डा0 जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1974 को गांव झिकली नौरी, डा0 जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है, परन्तु इस बारे पंचायत नौरी के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 04-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री राज कुमार पुत्र श्री मुख्खी राम, निवासी गांव कुम्हारड़ा, डा0 हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राज कुमार पुत्र श्री मुख्खी राम, निवासी गांव कुम्हारड़ा, डा0 हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-04-1967 को गांव कुम्हारड़ा, डा0 हरेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है, परन्तु इस बारे पंचायत हरेड के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

अमिता देवी पुत्री प्रेम चन्द ताहाल पत्नी मुख्खी राम, निवासी गांव कुमाहरड़ा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

अमिता देवी पुत्री प्रेम चन्द ताहाल पत्नी मुलखी राम, निवासी गांव कुमाहरडा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 05-04-1973 को गांव मढ़ेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

राज कुमार सूद पुत्र श्री अनन्त राम, निवासी गोविन्द निलायम, वार्ड नं0 3, नजदीक गीता भवन होशियारपुर रोड कांगड़ा, हि0 प्र0 previously निवासी गांव व डा0 खौपा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

राज कुमार सूद पुत्र श्री अनन्त राम, निवासी गोविन्द निलायम, वार्ड नं0 3, नजदीक गीता भवन होशियारपुर रोड कांगड़ा, हि0 प्र0 previously निवासी गांव व डा0 खौपा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता अनन्त राम सूद की मृत्यु दिनांक 06-12-1987 को गांव खौपा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है, परन्तु इस बारे पंचायत बण्डियों के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

रेखा देवी पुत्री श्री दमोदर राम, गांव व डा0 धानग, तहसील बैजनाथ ताहाल पत्नी श्री सतीश कुमार,
गांव रूपेहड़, डा0 व उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय— प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

रेखा देवी पुत्री श्री दमोदर राम, गांव व डा0 धानग, तहसील बैजनाथ ताहाल पत्नी श्री सतीश कुमार,
गांव रूपेहड़, डा0 व उप—तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित
मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 26-10-1976 को गांव व डा0 धानग, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका।
अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि
यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024
को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त
जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना
जायेगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

नन्द किशोर पुत्र विधि चन्द, निवासी गांव चनियारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

नन्द किशोर पुत्र विधि चन्द, निवासी गांव चनियारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता की मृत्यु दिनांक 10-10-2015 को गांव चनियारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

सागर ठाकुर पुत्र श्री प्रेम सूख, निवासी गांव मंधोल, डा0 ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

सागर ठाकुर पुत्र श्री प्रेम सूख, निवासी गांव मंधोल, डा0 ठारा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री निशा ठाकुर का जन्म दिनांक 04-05-2004 को गांव मंधोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त

जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

कमलेश देवी पत्नी नरिन्दर सिंह, निवासी गांव व डा0 खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

कमलेश देवी पत्नी नरिन्दर सिंह, निवासी गांव व डा0 खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि असल दस्तावेजों में उसका नाम कमलेश देवी दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मुहाल चलूडी में उसका नाम कौशल्या देवी कर दिया है जो कि गलत दर्ज है। आवेदिका अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड मुहाल चलूडी में कौशल्या देवी उपनाम कमलेश देवी दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों इस अदालती इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असागतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री प्यारू राम पुत्र स्व0 श्री सुन्दर राम, निवासी गांव गंगोह, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्यारू राम पुत्र स्व० श्री सुन्दर राम, निवासी गांव गंगोह, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि मिसल में संलग्न दस्तावेजों में उसका नाम प्यारू राम पुत्र स्व० श्री सुन्दर राम दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड मुहाल गंगोह, मौजा अवैरी में उसका नाम प्यारू चन्द पुत्र सुन्दर राम कर दिया है जो कि गलत दर्ज है। आवेदक अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड मुहाल गंगोह, मौजा अवैरी में प्यारू चन्द पुत्र सुन्दर राम उपनाम प्यारू राम पुत्र सुन्दर राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों इस अदालती इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

सुनीता देवी पुत्री श्री जीत सिंह ताहाल पत्नी श्री सुरजीत कुमार, निवासी गांव घिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

सुनीता देवी पुत्री श्री जीत सिंह ताहाल पत्नी श्री सुरजीत कुमार, निवासी गांव घिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 11-12-1979 को गांव चकोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) में हुआ है, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 06-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

सुरेश कुमार पुत्र मखोली राम, निवासी गांव मंडेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय— प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

सुरेश कुमार पुत्र मखोली राम, निवासी गांव मंडेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अनिरुद्ध कपूर का जन्म दिनांक 21-06-2013 को गांव मंडेड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उमा देवी पुत्री श्री घनश्याम, निवासी गांव कंजराड़, मौजा दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

उमा देवी पुत्री श्री घनश्याम, निवासी गांव कंजराड़, मौजा दयोल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि असल दस्तावेजों में उसका नाम उमा देवी पुत्री घनश्याम दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड मुहाल पंडतेहड़ में उसका नाम उषा देवी पुत्री घनश्याम कर दिया है जो कि गलत दर्ज है। आवेदिका अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड मुहाल पंडतेहड़ में उषा देवी पुत्री घनश्याम उपनाम उमा देवी पुत्री घनश्याम दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों इस अदालती इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

सवित्री देवी पुत्री भगत राम, निवासी गांव चौगान, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

सवित्री देवी पुत्री भगत राम, निवासी गांव चौगान, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1967 को गांव चौगान, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 05-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

शम्भू राम पुत्र श्री जटू राम, निवासी गांव व डा0 जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय— प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

शम्भू राम पुत्र श्री जटू राम, निवासी गांव व डा0 जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता जटू राम की मृत्यु दिनांक 29-12-2003 को गांव जण्डपुर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है, परन्तु इस बारे पंचायत जण्डपुर के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 28-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

शेर सिंह पुत्र नगीना राम, निवासी गांव व डा0 खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

शेर सिंह पुत्र नगीना राम, निवासी गांव व डा0 खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता शुकरो उपनाम भुकरो की मृत्यु दिनांक 12-07-1987 को गांव खड़ानाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है, परन्तु इस बारे पंचायत खड़ानाल के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 28-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

नलिनी पुत्री श्री युद्धवीर सिंह, निवासी गांव बन्डियों, डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

नलिनी पुत्री श्री युद्धवीर सिंह, निवासी गांव बन्डियों, डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 23-03-1977 को गांव बन्डियों, डा0 नगेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है, परन्तु इस बारे पंचायत बन्डियों के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024

7408

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 29 अक्टूबर, 2024 / 07 कार्तिक, 1946

को सुबह 11.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 28-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

रिंकू पुत्र श्री चमारु राम, निवासी गांव सुनपुर, डा0 घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रिंकू पुत्र श्री चमारु राम, निवासी गांव सुनपुर, डा0 घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी दादी सन्ती देवी पत्नी श्री सुखिया की मृत्यु दिनांक 03-01-1984 को गांव सुनपुर, डा0 घरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 05-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ज्ञान चन्द पुत्र श्री राम रखा, निवासी गांव व डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ज्ञान चन्द पुत्र श्री राम रखा, निवासी गांव व डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उनके पिता की मृत्यु दिनांक 19-11-1996 को गांव बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 05-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म : दुरुस्ती

अश्वनी कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी गांव सुनपुर, डा0 घिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

अश्वनी कुमार पुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी गांव सुनपुर, डा0 घिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल सुनपुर, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में मेरा नाम नवीन पुत्र किशोरी लाल है। जबकि प्रार्थी का असल नाम अश्वनी कुमार पुत्र किशोरी लाल है। लिहाजा प्रार्थी के नाम की दुरुस्ती करके अश्वनी कुमार पुत्र किशोरी लाल दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री बुधि सिंह पुत्र देव राज, निवासी गांव चौगान, डा0 वीर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बुधि सिंह पुत्र देव राज, निवासी गांव चौगान, डा0 वीर, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पिता का नाम नकल आयकर कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र व नकल आधार कार्ड में देव राज पुत्र भोखी राम दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड मुहाल चौगान में उसके पिता का नाम देवू पुत्र भोखी राम कर दिया है जो कि गलत दर्ज है। आवेदक अपने पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड मुहाल चौगान में देवू पुत्र भोखी राम उपनाम देव राज पुत्र भोखी राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों इस अदालती इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री सितार वली पुत्र गोपी राम, निवासी गांव व डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सितार वली पुत्र गोपी राम, निवासी गांव व डा0 गुनेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि नकल परिवार रजिस्टर, नकल ग्राम पंचायत गुनेहड़ व नकल आधार कार्ड में उसका नाम सितार वली पुत्र गोपी राम दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड मुहाल गुनेहड़ में उसका नाम सरदार वली पुत्र गोपी राम कर दिया है जो कि गलत दर्ज है। आवेदक अपना सही

नाम राजस्व रिकार्ड मुहाल गुनेहड़ में सरदार वली पुत्र गोपी राम उपनाम सितार वली पुत्र गोपी राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 04-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 05-11-2024

कृष्णा देवी पुत्री स्व0 श्री धोगरी राम, निवासी गांव टिकरी मुशहर, डा0 चौतडा, तहसील जोगिंदरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पिता का नाम की दुरुस्त करके धर्म सिंह के बजाए धोगरी राम दर्ज करने बारे।

कृष्णा देवी पुत्री स्व0 श्री धोगरी राम, निवासी गांव टिकरी मुशहर, डा0 चौतडा, तहसील जोगिंदरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल गुनेहड़, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम धर्म सिंह है। जबकि प्रार्थी का असल नाम धोगरी राम है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके धोगरी राम किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 01-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 05-12-2024

कमला देवी पत्नी श्री भगत राम, निवासी गांव भियोट, डा0 चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया के पति के नाम को दुरुस्त करके मंगत राम के बजाए भगत राम दर्ज करने बारे।

कमला देवी पत्नी श्री भगत राम, निवासी गांव भियोट, डा0 चौबीन, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल नौहरा, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम मंगत राम पुत्र तोता है। जबकि प्रार्थिया के पति का असल नाम भगत राम पुत्र तोता है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके भगत राम पुत्र श्री तोता किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-12-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

आशीष सडाना पुत्र श्री सूरज प्रकाश सडाना, निवासी गांव कस्बा पपरोला, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आशीष सडाना पुत्र श्री सूरज प्रकाश सडाना, निवासी गांव कस्बा पपरोला, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 07-04-1973 को गांव कस्बा पपरोला, डा0 पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है

परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 08-11-2024 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 17-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री जीत कुमार पुत्र श्री सुकरु पुत्र हच्छू निवासी गांव सुकारना, डा0 सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जीत कुमार पुत्र श्री सुकरु पुत्र हच्छू निवासी गांव सुकारना, डा0 सकड़ी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि नकल परिवार रजिस्टर, नकल ग्राम पंचायत सकड़ी में उसका नाम जीत कुमार पुत्र श्री सुकरु दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड मुहाल सकड़ी खास मौजा वही में उसका नाम जीवन राम पुत्र सुकरु कर दिया है जो कि गलत दर्ज है। आवेदक अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड मुहाल सकड़ी खास में जीवन राम उपनाम जीत कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ममता पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ममता पुत्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव व डा0 उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 13-11-1977 को गांव व डा0 उस्तेहड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2024 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म के पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 23-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म : दुरुस्ती

तारीख पेशी : 18-11-2024

मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री धिरथ राम पुत्र शिव दयाल, निवासी गांव व डा0 कोठी कोहड़, तहसील मुल्थान, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 हाल निवासी गांव चौगान, डा0 बीड़, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री धिरथ राम पुत्र शिव दयाल, निवासी गांव व डा0 कोठी कोहड़, तहसील मुल्थान, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल चौगान, तहसील बैजनाथ में भू-स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में मेरा नाम भिन्द्र सिंह पुत्र धिरथ पुत्र शिव दयाल है। जबकि प्रार्थी का असल नाम मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री धिरथ राम पुत्र शिव दयाल है। लिहाजा प्रार्थी के नाम की दुरुस्त करके मोहिन्द्र सिंह पुत्र श्री धिरथ राम पुत्र शिव दयाल दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2024 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन

हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-08-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री संजीव कुमार पुत्र भागी राम, निवासी गांव घरथोली, डा0 घिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री संजीव कुमार पुत्र भागी राम, निवासी गांव घरथोली, डा0 घिरथोली, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित प्रार्थना-पत्र दिया है कि नकल परिवार रजिस्टर, नकल ग्राम पंचायत बैजनाथ-पपरोला में उसके पिता का नाम भागी राम पुत्र सरन दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड मुहाल घरथोली में उसके पिता का नाम मांगो पुत्र सरन कर दिया है जो कि गलत दर्ज है। आवेदक अपने पिता का सही नाम राजस्व रिकार्ड मुहाल घरथोली में मांगो पुत्र सरन उपनाम भागी राम पुत्र सरन दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों इस अदालती इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असागतन या वकालतन पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समागतन न होगा।

आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील लगडू,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 04 / 2024

तारीख फैसला : 11-11-2024

श्रीमती सीतो देवी पुत्री श्री सन्त राम, गांव खालग, डा0 डोला खरयाना, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. आम जनता गांव खालग, डा0 डोला खरयाना, उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
2. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत डोला खरयाना। प्रतिवादी।

विषय.—हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

वादिया श्रीमती सीतो देवी पुत्री श्री सन्त राम, गांव खालग, डा0 डोला खरयाना, उप-तहसील लगडू ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 24-11-1938 को हुआ है, परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत डोला खरयाना में नहीं करवाया है। इसलिये उसके जन्म पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत डोला खरयाना को जारी किया जाए।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 11-11-2024 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करें। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 10-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 34/2024 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 02-09-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्री अशोक नेगी पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव व डा0 बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— राजस्व माल कागजात में हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री अशोक नेगी पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव व डा0 बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का नाम पटवार वृत्त सांगला के राजस्व माल कागजात मौजा बटसेरी में अशोक कुमार पुत्र छैपल पुत्र डण्डुब दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र अनुसार अशोक नेगी पुत्र बाबू राम पुत्र डण्डुब है। वादी राजस्व कागजात मौजा बटसेरी में अपना

नाम अशोक कुमार पुत्र छैपेल पुत्र डण्डुब के स्थान पर अशोक नेगी पुत्र छैपेल पुत्र बाबू राम पुत्र डण्डुब दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि वादी का नाम राजस्व माल कागजात मौजा बटसेरी में अशोक कुमार पुत्र छैपेल पुत्र डण्डुब दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र में अशोक नेगी पुत्र छैपेल पुत्र बाबू राम पुत्र डण्डुब सही पाया गया, मौके पर ग्रामवासी बटसेरी के ब्यानात लिए गए हैं संलग्न मिसल है। लिहाजा दस्तावेजों एवं ब्यानात के मध्य नजर रखते हुए वादी के नाम की राजस्व मालकागजात मौजा बटसेरी में दुरुस्ती की जानी वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी का नाम राजस्व माल कागजात मौजा बटसेरी में अशोक कुमार पुत्र छैपेल पुत्र डण्डुब के स्थान पर अशोक नेगी पुत्र छैपेल पुत्र डण्डुब दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 30-10-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व कागजात मौजा बटसेरी अशोक कुमार पुत्र छैपेल पुत्र डण्डुब के स्थान पर अशोक नेगी पुत्र छैपेल पुत्र बाबू राम पुत्र डण्डुब दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 28-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 48/2023 किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज तारीख दायर : 02-09-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव व डा0 बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)। .. वादी।

बनाम

आम जनता

.. प्रतिवादी।

विषय.— राजस्व माल कागजात में हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत दुरुस्ती इन्द्राज बारे।

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बाबू राम, निवासी गांव व डा0 बटसेरी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी के पिता स्व0 बाबू राम का नाम पटवार वृत्त सांगला के राजस्व कागजात मौजा बटसेरी में छैपेल पुत्र डण्डुब गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में पिता का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र अनुसार बाबू राम पुत्र डण्डुब है। वादी राजस्व कागजात मौजा बटसेरी में अपने पिता का नाम छैपेल पुत्र डण्डुब के स्थान पर बाबू राम पुत्र डण्डुब दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त तथ्यों की मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों से की गई। मुताबिक मौका छानबीन क्षेत्रीय इकाइयों के पाया कि वादी के पिता का नाम राजस्व कागजात मौजा बटसेरी में छैपल पुत्र डण्डुब दर्ज है जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड और स्कूल प्रमाण-पत्र में बाबू राम पुत्र डण्डुब सही पाया गया, जिसके साक्ष्य हेतु मौके पर ग्रामवासी बटसेरी के ब्यानात लिए गए हैं जो संलग्न मिसल है। लिहाजा दस्तावेजों एवं ब्यानात के मध्य नजर रखते हुए वादी के पिता के नाम की राजस्व कागजात मौजा बटसेरी में दुस्स्ती की जानी वाजिब है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को यदि वादी के पिता का नाम राजस्व कागजात मौजा बटसेरी में छैपल पुत्र डण्डुब के स्थान पर बाबू राम पुत्र डण्डुब दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 30-10-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार राजस्व कागजात मौजा बटसेरी में वादी के पिता का नाम छैपल पुत्र डण्डुब के स्थान पर बाबू राम पुत्र डण्डुब दुरुस्त करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 28-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 56 / 2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 11-09-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्री इन्दर लाल पुत्र श्री तनबा राम, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— श्री इन्दर लाल पुत्र श्री तनबा राम, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री इन्दर लाल पुत्र श्री तनबा राम, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 18-01-1957 को गांव ब्रुआ में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण उनकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री इन्दर लाल पुत्र श्री तनबा राम का जन्म दिनांक 18-01-1957 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ

के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 30-10-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार श्री इन्दर लाल पुत्र श्री तनबा राम, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 18-01-1957 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 28-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 57/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 11-09-2024

मुकद्दमा शीर्ष : सुश्री राधा प्यारी पुत्री स्व0 कृष्ण राम, निवासी गांव व डा0 कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सुश्री राधा प्यारी पुत्री स्व0 कृष्ण राम, निवासी गांव व डा0 कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुश्री राधा प्यारी पुत्री स्व0 कृष्ण राम, निवासी गांव व डा0 कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 03-12-1986 को गांव कामरु में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरु के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरु के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को सुश्री राधा प्यारी पुत्री स्व0 कृष्ण राम की जन्म तिथि 03-12-1986 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरु के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 30-10-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार सुश्री राधा प्यारी पुत्री स्व0 कृष्ण राम, निवासी गांव व डा0 कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 03-12-1986 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरु के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 28-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 58 / 2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 11-09-2024

मुकद्दमा शीर्ष : सुश्री जय माला पुत्री भाग चन्द दास, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला
किन्नौर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सुश्री जय माला पुत्री भाग चन्द दास, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुश्री जय माला पुत्री भाग चन्द दास, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 08-01-1974 को गांव ब्रुआ में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को सुश्री जय माला पुत्री भाग चन्द दास की जन्म तिथि 08-01-1974 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 30-10-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार सुश्री जय माला पुत्री भाग चन्द दास, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 08-01-1974 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 28-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 60/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 11-09-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्री भीष्मबर पुत्र स्व0 कृष्ण राम, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर
(हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— श्री भीष्मबर पुत्र स्व0 कृष्ण राम, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री भीष्मबर पुत्र स्व0 कृष्ण राम, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 13-06-1977 को गांव कामरू में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री भीष्मबर पुत्र स्व0 कृष्ण राम की जन्म तिथि 13-06-1977 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 30-10-2024 को असातन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार श्री भीष्मबर पुत्र स्व0 कृष्ण राम, निवासी गांव व डा0 कामरू, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 13-06-1977 का पंजीकरण ग्राम पंचायत कामरू के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 28-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 61/2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 11-09-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री सुन्दर लाल, निवासी गांव व डा0 किल्बा, तहसील सांगला,
जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— स्व० श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री विधा सैन, निवासी गांव व डा० किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

श्री संजय कुमार पुत्र स्व० श्री सुन्दर लाल, निवासी गांव व डा० किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उनके पिता स्व० सुन्दर लाल की मृत्यु दिनांक 26-08-2004 को गांव किल्बा में हुई थी। किन्तु अज्ञानता के कारण उनकी मृत्यु का इन्द्राज ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादी उपरोक्त मृत्यु तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को स्व० श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री विधा सैन की मृत्यु तिथि 26-08-2004 का पंजीकरण ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 30-10-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार स्व० श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री विधा सैन, निवासी गांव व डा० किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) की मृत्यु तिथि 26-08-2004 का पंजीकरण ग्राम पंचायत किल्बा के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 28-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि० प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 62 / 2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 19-09-2024

मुकद्दमा शीर्ष : सुश्री करिशमा देवी पुत्री पलस राम, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— सुश्री करिशमा देवी पुत्री पलस राम, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

सुश्री करिशमा देवी पुत्री पलस राम, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि०प्र०) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी

रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका स्वयं का जन्म दिनांक 01-04-1997 को गांव ब्रुआ में हुआ था किन्तु अज्ञानता के कारण उसकी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण में दर्ज नहीं करवाया गया है। अब वादिया उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को सुश्री करिशमा देवी पुत्री पलस राम की जन्म तिथि 01-04-1997 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी 30-10-2024 को असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार सुश्री करिशमा देवी पुत्री पलस राम, निवासी गांव व डाकघर ब्रुआ, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 01-04-1997 का पंजीकरण ग्राम पंचायत ब्रुआ के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अभिलेखों में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 28-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 15 / 2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 01-08-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्रीमती मंगल देवी पुत्री श्री धर्म पूर, निवासी गांव थैमगरंग, डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) . . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती मंगल देवी पुत्री श्री धर्म पूर, निवासी गांव थैमगरंग, डा0 सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती मंगल देवी की जन्म तिथि 05-09-1986 अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत थैमगरंग के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं हुई है, अब वादिया उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत थैमगरंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मंगल देवी पुत्री श्री धर्म पूर की पुत्री की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत थैमगरंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 12-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 16 / 2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 11-07-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्रीमती हुकुम मनी पुत्री श्री हुकुम सुख, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला
किन्नौर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती हुकुम मनी पुत्री श्री हुकुम सुख, निवासी गांव व डा0 शौंग, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि श्रीमती हुकुम मनी की जन्म तिथि 15-01-1986 का अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत शौंग के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती हुकुम मनी पुत्री श्री हुकुम सुख के पुत्री की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत शौंग के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 12-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 18 / 2024 किस्म मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तारीख दायर : 19-06-2024

मुकद्दमा शीर्ष : श्रीमती भीष्म भगती पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डा0 चांसु, तहसील सांगला, जिला
किन्नौर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की अधीन धारा 13(3) के अन्तर्गत पंजीकरण करने बारे।

श्रीमती भीष्म भगती पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह, निवासी गांव व डा0 चांसु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी रिकांगपिओ के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि भीष्म भगती की जन्म तिथि 28-03-1990 को अज्ञानता के कारण ग्राम पंचायत चांसु के सम्बन्धित दस्तावेजों में दर्ज नहीं करवाया है, अब वादिया उपरोक्त जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत चांसु के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती भीष्म भगती पुत्री श्री नरेन्द्र सिंह की पुत्री की जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत चांसु के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे आम जनता को कोई आपत्ति हो तो इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर/एतराज वकालतन अथवा असालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

अतः इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 12-09-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 66/2024

आगामी पेशी : 04-11-2024

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री झाबे राम, निवासी गांव देहुरी, डा0 कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री झाबे राम, निवासी गांव देहुरी, डा0 कनौन, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 28-01-1981 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कनौन के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 28-01-1981 दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनौन के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 04-11-2024 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत कनौन, तहसील सैज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 28-01-1981 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 65/2024

तारीख मजरूआ : 03-10-2024

आगामी पेशी : 04-11-2024

श्री मोहर सिंह पुत्र स्व० श्री दौउलू राम पुत्र लाहुलू, निवासी गांव देवगढ़, डा० बनोगी, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे।

श्री मोहर सिंह पुत्र स्व० श्री दौउलू राम पुत्र लाहुलू, निवासी गांव देवगढ़, डा० बनोगी, तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के पिता स्व० श्री दौउलू राम पुत्र लाहुलू की मृत्यु दिनांक 13-08-2002 को हो चुकी है। प्रार्थी के अन्य सदस्य भी श्री दौउलू राम पुत्र लाहुलू की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत दुशाहड़ के रिकार्ड में गलती से दर्ज नहीं करवा सके। अब प्रार्थी अपने पिता स्व० श्री दौउलू राम पुत्र लाहुलू की मृत्यु तिथि पंचायत रिकार्ड दुशाहड़ में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में शपथ-पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र, परिवार नकल साथ संलग्न प्रस्तुत कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उपरोक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह 04-11-2024 को असालतन या वकालतन प्रातः 11:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर अपना एतराज लिखित या मौखिक पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैज, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्री चुनी लाल पुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गांव मलहांज, डा0 पनंगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जाति दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री चुनी लाल पुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गांव मलहांज, डा0 पनंगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र, मय शपथ—पत्र गुजारा है कि पनंगा के राजस्व अभिलेख में जाति दर्ज करने बारे आवेदन किया है कि मेरी जाति राजपूत पनंगा के राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाए। इस बाबत उक्त विषय की छानबीन क्षेत्रीय अभिकरण से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया की राजस्व अभिलेख में जाति अन्य दर्ज है तथा बरुये ई0 नं0 48 हिब्बा रजि0 क्रमांक 54 दिनांक 14-03-2003 से श्रीमती ईशवरु पुत्री श्री गिलू पुत्र उदू मालका ने मिसल हकियत वर्ष 2000-01 से खेवट हजा 32/47 व 33/48 का अपना 2/3 व 14/23 भाग बहक राम लाल, राम नाथ पुत्रगण श्री हिरदू राम पुत्र लच्छी राम भाग बराबर कर ई0 दिनांक 20-03-2003 को स्वीकार हो गया है व इसके पश्चात् महाल पनंगा जमाबन्दी वर्ष 2005-06 शजरा नस्ब में राम लाल, राम नाथ पुत्रगण हिरदू का शजरा जाति राजपूत में दर्ज किया गया व बरुये ई0 नं0 66 हिब्बा नामा रजि0 क्रमांक 360 दिनांक 03-11-2004 से मिसल हकियत वर्ष 2000-01 से श्रीमती ईशवरु पुत्री गिलू पुत्र उदू मालका ने खेवट हजा 32/47 व 33/38 का अपना 1/3 भाग व 646/1858 भाग बहक चुनी लाल पुत्र हिरदू राम पुत्र लच्छी राम कर इन्तकाल दिनांक 24-12-2004 को स्वीकार हो चुका है व इसके पश्चात् महाल पनंगा जमाबन्दी वर्ष 2005-06 शजरा नस्ब में चुनी लाल पुत्र हिरदू का शजरा जाति अन्य में दर्ज कर दिया गया है व इस प्रकार महाल पनंगा जमाबन्दी वर्ष 2005-06 शजरा नस्ब में हिरदू पुत्र लच्छी राम के दो शजरे जो कि एक राजपूत जाति में दर्ज है व एक अन्य जाति में दर्ज कर दिया है। इसलिए जाति दुरुस्ती बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्री चुनी लाल पुत्र श्री हिरदू राम, निवासी गांव मलहांज, डा0 पनंगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के जाति दुरुस्ती पटवार वृत्त पनंगा के राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार पटवार वृत्त वशिष्ट के राजस्व अभिलेख में सही नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 26-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

केस नं0 : 19-MT/2024

दायर तिथि : 09-08-2024

1. श्री राजेश पुत्र श्री अमर दास, निवासी गांव वार्ड नं0 2 शमशी, डा0 शमशी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती चेतना पुत्री श्री खुब राम, निवासी गांव राडु, डा0 अप्पर बेहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 09-08-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 02-08-2019 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत जरड़ भुठी कलौनी, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 20-MT / 2024

दायर तिथि : 06-08-2024

1. श्री साहिल नेगी पुत्र श्री सुनील, निवासी गांव परगाणु, डा0 व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती उषा पुत्री श्री रविन्द्र, निवासी गांव खंजर, डा0 करपट, तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने 06-08-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 28-03-2022 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते

चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत परगणु, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 55-BT / 2024

दायर तिथि : 26-06-2024

श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री भाग चन्द, निवासी गांव संगतेहड़, डा0 छैऊर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) हाल पत्नी श्री हन्स राज, निवासी गांव पेछा, डा0 बारी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री भाग चन्द, निवासी गांव संगतेहड़, डा0 छैऊर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 15-09-1985 को स्थान गांव संगतेहड़, डा0 छैऊर, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) में हुआ है। परन्तु उसके माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्य उसकी जन्म की तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिलीहार, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न कर सके हैं।

अतः इस इशतहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती मीरा देवी पुत्री श्री भाग चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भुन्तर, तहसील भुन्तर,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

केस नं0 : 21-MT / 2024

दायर तिथि : 17-05-2024

1. श्री राज कुमार पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव बड़ा-भुईन, डा0 व तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
2. श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव राइसारी, डा0 व उप-तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 17-05-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 05-05-2023 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बड़ा-भुईन, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 05-11-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 03-10-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,
भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती अनिता सोनी पुत्री स्व0 श्री तेज राम, निवासी गांव व डा0 जगतसुख, तहसील व जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती अनिता सोनी पुत्री स्व० श्री तेज राम, निवासी गांव व डा० जगतसुख, तहसील व जिला कुल्लू (हि०प्र०) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र, मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 19-01-1976 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत जगतसुख के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती हैं। इस बाबत क्षेत्रीय अभीकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि श्रीमती अनिता सोनी पुत्री स्व० श्री तेज राम की जन्म तिथि 19-01-1976 दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती अनिता सोनी पुत्री स्व० श्री तेज राम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 11-11-2024 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत जगतसुख के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

CHANGE OF NAME

I, Rajinder Pal s/o Late Sh. Sohan Lal, r/o Village Theda, P.O. Lodhimajra, Tehsil Baddi, District Solan, H.P. declare that in CBSE 10th & 12th Class Mark Sheets of my Daughter Suveera Saini, my name is wrongly mentioned as Rajinder Pal Saini instead of Rajinder Pal (Correct Name). Also my wife's name is wrongly mentioned as Jivtesh instead of Jivtesh Saini (Correct Name).

RAJINDER PAL
s/o Late Sh. Sohan Lal,
r/o Village Theda, P.O. Lodhimajra,
Tehsil Baddi, District Solan (H.P.).

